



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 प्लास्टिक के कट्टे में एसी कन्डेन्सर, 7 एयरकन्डेशींग होज, 02 चाबी, 01 प्लास एवं 01 नाजायज छुरा बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2024 को दौराने गस्त थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 62 फुटा कट रजवाहे के पास से 01 अभियुक्त **शोभित उर्फ शोभी पुत्र तेजपाल उर्फ पाला निवासी उषा विहार कालोनी निकट वर्धमान कालोनी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को 01 प्लास्टिक के कट्टे में एसी कन्डेन्सर जो एसी में लगता है व 7 एयरकन्डेशींग होज छोटे छोटे टुकड़े, 02 चाबी, 01 प्लास एवं 01 नाजायज छुरा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना को0 देहात पर मु0अ0स0 336/24 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त शोभित उपरोक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ। किसी भी स्थान पर जहाँ कोई नहीं होता है सामान चोरी कर कबाडी को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शोभित उर्फ शोभी पुत्र तेजपाल उर्फ पाला निवासी उषाविहार कालोनी, थाना को0 देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

एसी कन्डेन्सर जो एसी में लगता है, 7 एयरकन्डेशींग होज छोटे छोटे टुकड़े, 02 चाबी, 01 प्लास, 01 नाजायज छुरा

अभियुक्त शोभित उर्फ शोभी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 72/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 नगर सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 175/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 मण्डी सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 176/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 मण्डी सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 177/18 धारा 414/420/468 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 मण्डी सहारनपुर ।
5. मु0अ0स0 179/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना को0 मण्डी सहारनपुर ।
6. मु0अ0स0 448/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना को0 मण्डी सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार यादव थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. है0का0 1035 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. का0 1253 अनिरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
4. का0 2173 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
5. का0 2253 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला 01 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, नाबालिग सकुशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना को0 देहात पर मु0अ0स0 290/24 धारा 137(2) बीएनएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त वाछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.08.2024 को वाछित अभियुक्त **अजीम पुत्र अनीस नि0 मौ0 रमजानपुर रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0 290/24 धारा 137(2) बीएनएस को बेहट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया एवं अपहता को सकुशल बरामद किया गया है। अपहता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 65(1) बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अजीम पुत्र अनीस निवासी थाना मौ0 रमजानपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 अजय पाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
- है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर/अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से चोरी की गई ई रिक्शा व 03 नाजायज चाकू बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादिया श्रीमति पूजा भंडारी पत्नी स्व० विजय भंडारी नि० भूतेश्वर मंदिर रोड मौ० ज्ञान विहार कालोनी कुटिया मंदिर के पास थाना मण्डी स०पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर के बाहर से ई रिक्शा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 305/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 03 शातिर चोर अभियुक्त 1. राजेश पुत्र मदनलाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 2. भोला पुत्र मदनलाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 3. दीपक उर्फ आलू पुत्र ओमपाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी सहारनपुर को बाबा लालदास रोड मदरसे के सामने से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी ई रिक्शा व तीनों अभियुक्तगण से एक- एक चाकू बरामद । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी। व चाकू की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०सं० 309/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी पर पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा०न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम नशे के आदी है । इसलिये हम चोरी करते हैं । जो ईरिक्शा चोरी की थी उसको बेचने जा रहे थे। चाकू हम अपने पास इसलिये रखते हैं ताकि हम चोरी करते समय कोई पकडे तो डरा धमका कर हम भाग जायें । अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि यह ई रिक्शा दिनांक 12.8.2024 की रात्रि मे मकान के बाहर से चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राजेश पुत्र मदनलाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. भोला पुत्र मदनलाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. दीपक उर्फ आलू पुत्र ओमपाल निवासी श्यामपुरी बगीची थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 ई-रिक्शा

03 नाजायज चाकू

अभियुक्त राजेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.- मु०अ०सं०187/22 धारा 307 भादवि ।थाना मण्डी सहारनपुर
2. -मु०अ०सं०-390/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ,63 आबकारी अधि० ।थाना मण्डी सहारनपुर

अभियुक्त भोला पुत्र मदनलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०-187/22 धारा 307 भादवि । ।थाना मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.8.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरा नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त सारिक पुत्र मतलूब निवासी खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर को मण्डी समिति में खाली पड़े खंडहर के पास कुडेदान के पास से एक छुरा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 311/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सारिक उपरोक्त द्वारा बताया कि यह छुरा मैं लोगो में रोब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सारिक पुत्र मतलूब निवासी खान आलमपुरा थाना जनकपुरी थाना जनकपुरी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सारिक उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 22/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 23/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व धारा 414 भा0द0वि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 छुरा अवैध

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. कांस्टेबल का0 2260 देवेश थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.8.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरा नाजायज बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **शाहरुख पुत्र गुलशेर निवासी खान आलमपुर जनकपुरी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को बाल्मिकी मंदिर के किमारे पुल कम्बोह के पास से एक नाजायज अवैध छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 310/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र गुलशेर निवासी खान आलमपुर जनकपुरी थाना जनकपुरी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 376/2020 धारा 414 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 378/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 छुरा अवैध

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. कांस्टेबल 609 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. कांस्टेबल 2180 रवींद्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी.एन.एस.एस को हिरासत पुलिस लिया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.08.2024 को **अभियुक्त शक्ति कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर उम्र करीब 20 वर्ष** अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी.एन.एस.एस में नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त को समय से मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड जिला सहारनपुर महोदय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभि0 शक्ति कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. है0का0 779 आकाश कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर



दिनांक: 18.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.08.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त कालू पुत्र रघुवीर निवासी मौ० रामनगर कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 5388/24 मु०अ०स० 74/04 धारा 379 भादवि थाना सरसावा को थाना सरसावा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कालू पुत्र रघुवीर निवासी मौ० रामनगर कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. है०का० 71 प्रदीप थाना सरसावा जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा नालाबिग से दुष्कर्म का वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2024 को थाना नानौता पुलिस द्वारा नालाबिग से दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त **रेशभ पुत्र नरेश निवासी ग्राम दास्सामाजरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 157/24 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 को ग्राम सोना अर्जुनपुर मोड दिल्ली सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रेशभ पुत्र नरेश निवासी ग्राम दास्सामाजरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
(सम्बन्धित मु0अ0स0 157/24 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना नानौता)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अमित नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 200 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 11 लाख रुपये) बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम एवं इसमें लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मैसर पत्नि शहजाद निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को मिर्जापुर के गौल्डन पैलेस स्थान के पास 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त मैसर उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 132/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त मैसर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं महिला होने के कारण पुलिस की नजर से बचकर चरस व स्मैक को बरेली से लाकर छोटे छोटे डीलरो को बेच देती हूँ। मुझे डीलरो के नाम नहीं पता हैं। चरस व स्मैक बेचने से मुझे काफी पैसा मिलता है, जिससे मैं अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मैसर पत्नि शहजाद निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 200 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुमन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 110 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 05 लाख रू0), 16,490/ रुपये एवं 01
कैलकुलेटरनुमा तोल मशीन बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम एवं इसमें लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **फुरकान पुत्र वहीद उर्फ मिदा निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम रायपुर पैठ की ओर से नदीम की दुकान के पास से कुल 07 पुडिया जिसका वजन 40 ग्राम व कट की कुल 07 पुडिया जिसका कुल वजन 70 ग्राम, 500 रुपये के कुल 14 नोट, 200 रुपये के कुल 4 नोट, 100 रुपये कुल 26 नोट, 50 रुपये के कुल 23 नोट, 20 रुपये के कुल 212 नोट व 10 रुपये के कुल 70 नोट कुल **16490 रुपये नकद** व एक **कैलकुलेटरनुमा तोल मशीन** बरंग सिल्वर समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि0 फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 131/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है जिसका एचएस न0 13/ बी है। गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान उपरोक्त पर पूर्व में एक दर्जन से अधिक मुकदमें जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत हैं।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में गौकशी अपराध कारित किये जाते थे परन्तु पुलिस के भय के कारण मैने गौकशी का अपराध छोडकर चरस , स्मैक बेचने का काम शुरू कर दिया था जिससे मुझे कुछ धन की अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फुरकान पुत्र वहीद उर्फ मिदा निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0स0 52/10 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर
- 2.मु0अ0स0 70/13 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर
- 3.मु0अ0स0 60/14 धारा 325/323/452/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
- 4.मु0अ0स0 120/13 धारा 323/324/452/504/506/147/148 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
- 5.मु0अ0स0 239/19 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 414 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
- 6.मु0अ0स0 225/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर सपुर
- 7.मु0अ0स0 119/13 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर
- 8.मु0अ0स0 199/21 धारा 307/323/354बी/452/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर

- 9.मु0अ0स0 130/21 धारा 147/325/504/452/506325/307 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
- 10.मु0अ0स0 128/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सपुर
- 11.मु0अ0स0 0003/20 धारा 363/366 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
- 12.मु0अ0स0 154/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर सपुर
- 13.मु0अ0स0 10/23 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम चरस मय 16490 रुपये बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
3. हेका0 294 उदित मलिक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
- 4.का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 18.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वाञ्छित चल रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 06/07/24 को वादी- श्री अश्वनी लूथरा पुत्र श्री मदनलाल लूथरा निवासी सरगोधा मिष्ठान भण्डार, कक्कड गंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की दुकान का ताला तोडकर परात व भगौने चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0स0 169/2024 धारा 331(4)/305 (A) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उच्चाधिकारीगण द्वारा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी तथा चोरी गयी सामान की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 06/08/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी के फाजिल उर्फ फन्नी पुत्र अहमद हसन निवासी मौ0 बंजारान थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर को लुहानी सराय तिराहे से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे/निशादेही से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी माल बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज तथा अभियुक्त फाजिल उपरोक्त के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण रहमान व अहसान पुत्रगण नामालूम निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/08/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियुक्त **रहमान पुत्र मौ0 रहमान निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को तिब्बती मार्केट पुराना अस्पताल के पास थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 205/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रहमान उपरोक्त ने बताया कि मैं व मेरे दोस्त फाजिल व अहसान स्मैक का नशा करते है। घर से पैसा मिलता नहीं तो छोटी मोटी चोरी करके अपने नशे की जरूरत को पूरा कर लेते है। दिनांक 06/07/24 की रात्रि में कक्कड गंज चौक के पास एक बंद पडे स्टोर की कुंडी तोडकर मैंने व मेरे दोस्तो ने चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रहमान पुत्र मौ0 रहमान निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त रहमान उपरोक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 नरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- कां0 अनुराग थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-18/08/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से बिना अनुमति के पटाखे बनाने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से करीब 02 कुन्तल 84 कि०ग्रा० अवैध विस्फोटक पदार्थ (बने-अधबने) बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम तथा वांछित / वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.08.2024 की रात्रि को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण:- 1. साबिर पुत्र नसीम अहमद नि० मौ० अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर सहारनपुर व 2. साजिम पुत्र इब्राहिम नि० अनारकली मौ० इलाही बक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को अभियुक्त साजिम उपरोक्त के मस्कन से समय करीब 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से करीब 2 कुन्तल 84 कि०ग्रा० अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु०अ०सं०- 357/24 धारा 5 विस्फोटक अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण साबिर व साजिम उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनो मिलकर सुतली बम पटाखे बना रहे थे, जिनको हम त्यौहार व अन्य विवाह शादियों में बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। सुतली बम पटाखे बनाने की सामग्री एक व्यक्ति जिसका हम नाम नहीं जानते जो सहारनपुर से आता है और हमे बारूद आदि की सप्लाई करके जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. साबिर पुत्र नसीम अहमद नि० मौ० अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर सहारनपुर
2. साजिम पुत्र इब्राहिम नि० अनारकली मौ० इलाही बक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 05 कट्टे अवैध अधबने सफेद सुतली बम पटाखे,
- 05 कट्टे अवैध अधबने हरे सुतली बम पटाखे,
- 02 कट्टे अवैध अधबने बम बिना सुतली के अखबार में लिपटो बम पटाखे
- 01 कट्टे में अवैध अधबने सफेद सुतली, हरी सुतली व अखबार में लिपटे बम पटाखे

आपराधिक इतिहास साबिर

- 1.मु०अ०सं० 369/09 धारा 5/9ख विस्फोटक अधि० थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वउ०नि० श्री संजय शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. है०का० 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है०का० 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. है०का० 406 अमित धामा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का० 1606 दीपक कुमार राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का० 1718 अंकित धामा थाना गंगोह जिला सहारनपुर